भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2191

जिसका उत्तर गुरुवार, 07 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के लिए एकसमान नीति

2191 श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायपालिका द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग के लिए एकसमान नीति पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित रूपरेखा और समय-सीमा का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह नीति नैतिक सुरक्षा उपायों, एल्गोरिथम संबंधी पूर्वाग्रह और डेटा निजता से संबंधित

चिंताओं का समाधान करेगी ; और

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में न्यायिक अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों या प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ परामर्श किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : उच्चतम न्यायालय की ई-समिति, जिसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के एक न्यायमूर्ति द्वारा की जाती है, देश के विभिन्न न्यायालयों में ई न्यायालय परियोजना के कार्यान्वयन हेतु नीति नियोजन, रणनीतिक दिशा और मार्गदर्शन के लिए उत्तरदायी है। न्यायिक क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग की खोज करने हेतु, उच्चतम न्यायालय द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति का गठन किया गया था। ई न्यायालय परियोजना के तृतीय चरण के अंतर्गत, जो 2023-24 से प्रभावी 4 वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित है, भावी तकनीकी उन्नति (एआई, ब्लॉकचेन इत्यादि) के घटक के लिए 53.57 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। एआई को न्यायपालिका के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एकीकृत किया जाना है, जिसमें प्रशासनिक दक्षता में सुधार, वाद की लंबितता की भविष्यवाणी, प्रक्रियाओं का स्वचालन और न्यायालय संचालन का

सुव्यवस्थीकरण सम्मिलित है। एआई का न्यायपालिका में उपयोग ई न्यायालय परियोजना के तृतीय चरण- की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार किया जाना है। ई न्यायालय परियोजना के अंतर्गत एआई का उपयोग करके विकसित उपकरण और प्लेटफॉर्म का उपयोग देश भर में न्यायपालिका द्वारा किया जाना है।

सर्वोच्च न्यायालय , भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के साथ निकट समन्वय में, त्रुटियों की पहचान हेतु ई-फाइलिंग सॉफ्टवेयर में एकीकृत एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) और एमएल (मशीन लर्निंग) आधारित उपकरण विकसित एवं नियोजित कर चुका है। इस प्रोटोटाइप तक 200 अधिवक्ता अभिलेख की पहुंच सक्षम की गई है। सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के साथ सहयोग से, त्रुटि निवारण तथा डेटा और मेटाडेटा निष्कर्षण हेतु एआई एवं एमएल उपकरणों के प्रोटोटाइप का भी परीक्षण कर रहा है। इस एआई/एमएल आधारित उपकरण को ई-फाइलिंग मॉड्यूल और वाद प्रबंधन सॉफ्टवेयर, अर्थात् 'एकीकृत प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली' (ICMIS) के साथ एकीकृत करने की परिकल्पना की गई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विधिक अनुसंधान सहायक उपकरण, SUPACE (सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी), का विकास कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वादों के तथ्यात्मक स्वरूप को समझना तथा पूर्ववर्ती निर्णयों की बुद्धिमत्तापूर्ण खोज के माध्यम से वादों का विश्लेषण करना है।

इसके अतिरिक्त, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ़्टवेयर उपकरण, जिसका नाम "विधिक अनुसंधान विश्लेषण सहायक"(LegRAA) है, को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) की कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाग तथा पुणे स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (ई न्यायालय), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की टीम द्वारा, उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। यह उपकरण न्यायाधीशों को विधिक अनुसंधान, दस्तावेज़ विश्लेषण एवं न्यायिक निर्णय समर्थन में सहायता प्रदान करने हेतु अभिकल्पित किया गया है। इसके अतिरिक्त, "डिजिटल न्यायालय 2.1" मंच को परियोजना के तृतीय चरण के अंतर्गत विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य न्यायालयों को पूर्णतः डिजिटल एवं कागज-रहित बनाना है जो न्यायाधीशों को वेब एप्लिकेशन के माध्यम से वाद आधारित अभिवचनों, आरोप-पत्र, दस्तावेज़ आदि देखने की सुविधा प्रदान करता है। "डिजिटल न्यायालय 2.1" में वॉइस-टू-टेक्स्ट सुविधा [स्वतः भाषण पहचान एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पाठ रूपांतरण सॉफ़्टवेयर] समाहित है, जो अंग्रेज़ी एवं अन्य स्थानीय भाषाओं में बोले गए आदेशों और न्यायालय में हुई कार्यवाही का श्रुतलेखन एवं अनुवाद करने हेतु सक्षम है। "विधिक अनुसंधान विश्लेषण सहायक"(LegRAA) तथा "डिजिटल न्यायालय 2.1", दोनों उपकरण, डेटा गोपनीयता एवं नैतिक सुरक्षा के विषयों का संवेदनशीलता से ध्यान रखते हैं और केवल न्यायालय के अपने आँकड़ों, जैसे कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों द्वारा निर्णयों और पारित आदेशों का ही उपयोग करते हैं। ये उपकरण न्यायिक अधिकारियों को आंतरिक रूप से उपलब्ध कराए जाएँगे, जिससे डेटा गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके।

****